



पेशे संबंधी स्वास्थ्य और चोट तथा बीमारी से बचाव पर सहयोग के लिए ईएसआईसी और डीजीएफएसएलआई के बीच समझौता ज्ञापन

Posted On: 11 JUL 2017 5:07PM by PIB Delhi

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय की गरिमामयी उपस्थिति में आज नई दिल्ली में पेशे संबंधी स्वास्थ्य और चोट तथा बीमारी से बचाव पर सहयोग के लिए ईएसआईसी तथा कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएसएलआई) के बीच समझौता ज्ञापन(एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। श्री दत्तात्रेय ने इस अवसर पर कहा कि मंत्रालय देशभर के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एमओयू से कार्यस्थल पर स्वस्थ माहौल, बीमारी या चोट के खतरे को कम करने और कामगारों के लिए गुणवत्तापरक जीवन उपलब्ध कराने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एमओयू का मकसद आपसी सहयोग स्थापित करना है, जिससे कामगारों के पेशे संबंधी स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा दिया और कार्य से जुड़ी चोटों तथा बीमारियों को कम किया जा सकेगा। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यस्थल के जोखिम भरे वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फरीदाबाद में क्षेत्रीय श्रम संस्थान में 'डीजीएफएसएलआई-ईएसआईसी पेशे संबंध स्वास्थ्य प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास केन्द्र(ओएचटीआरडीसी)' स्थापित कर मुख्य रूप से पेशे संबंधी स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इसके बाद मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता और कानपुर में स्थापित अन्य संस्थानों में ऐसे केन्द्र खोले जाएंगे। सहयोग का उद्देश्य निम्नलिखित अन्य गतिविधियों के बाद संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिये कामगारों के जीवन में गुणवत्तापरक सुधार लाना है:

- आर्थिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में ओएसएच चुनौतियों का आकलन
- एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस और अन्य पेशे संबंधी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशेष गतिविधियां।
- विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना

यह समझौता ज्ञापन आज से लागू होकर तीन (03) वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

वीके/एमके/आरएन-2026

(Release ID: 1495157) Visitor Counter : 17

